राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :– 410/2023

सुनील रियाड (कर्मचारी आई.डी.– आरजेएनए201728034487)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.01.2023
आदेश की दिनांक : 30.01.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री जे.आर. चौधरी, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी द्वारा इस अपील में स्थानांतरण आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक–1) को दी गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण पटवार मण्डल, ढावा तह. मेड़ता से पंचायत समिति शीलगांव तहसील मूण्डवा में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि पटवारियों के संबंध में जारी स्थानांतरण नीति एवं राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 14.07.1992 के अनुसार पटवारी का पदस्थापन गृह तहसील में किये जाने का प्रावधान है और यदि गृह तहसील में पद रिक्त नहीं हो तो नजदीकी तहसील में पदस्थापित किये जाने के संबंध में आदेश पारित किया हुआ है। अपीलार्थी के वर्तमान कार्यस्थल पटवार मण्डल ढावा तहसील मेड़तासिटी जिला नागौर में किसी भी व्यक्ति को पदस्थापित नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि तहसील मेड़तासिटी में पटवारी का पद रिक्त है, इसके बावजूद भी द्वेषतापूर्वक प्रत्यर्थी संख्या–3 ने अपीलार्थी का स्थानांतरण उसकी गृह तहसील के बाहर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.01.2023 के द्वारा पटवार मण्डल शीलगांव तहसील मुण्डवा जिला नागौर में स्थानांतरण किया गया है, जो राज्य सरकार द्वारा पटवारियों के संबंध में दिशा–निर्देश दिनांक 14.07.1992 का उल्लंघन है।

3. हमने अपीलार्थी के अधिवक्ता के उक्त तर्क पर विचार किया। नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पटवारी का पदस्थापन आवश्यक रूप से उसके गृह तहसील में ही किया जाये। जो दिशा–निर्देश जारी किये गए है, उसमें यह प्रावधान है कि यथासंभव पटवारियों का पदस्थापन गृह तहसील में किया जाये। हमारे मत में प्रशासनिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए पटवारियों का स्थानांतरण गृह तहसील से बाहर भी किया जा सकता है। वर्तमान स्थानांतरण अपीलार्थी के पदस्थापन के 2 साल बाद प्रशासनिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है।

4. प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal"

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

5. उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)